तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6741/2024/फलौदी** **नखतसिंह व अन्य बनाम बालुसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

———

उपस्थित :–
श्री समीर अहमद, वकील प्रार्थीगण ।

——

आदेश

दिनांकः–23.09.2024

हस्तगत् निगरानी अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 की सपठित धारा 221 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 84/2024 उनवानी बालूसिंह बनाम नूर मोहम्मद में पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण नूरमोहम्मद, श्यामकंवर, ज्ञानकंवर, रेवतसिंह, मोतीसिंह, मोहनसिंह, विजयसिंह, दलपत सिंह व खेरू खां द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर, फलोदी के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन का प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 550 रकबा 172 बीघा 10 बिस्वा वादीगण एवं समस्त प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी अंकित करते हुए जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 तक प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजी में अंकित हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर वादीगण का वाद दिनांक 07.06.2016 को हिस्से अनुसार डिक्री करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रस्ताव मंगाने हेतु तहसीलदार, फलोदी को निर्देशित किया एवं प्राथमिक डिक्री पारित की । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.05.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.2017 के विरूद्ध वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 बालूसिंह ने लगभग 7 वर्ष मियाद बाहर अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की जिसमें

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6741/2024/फलौदी** **नखतसिंह व अन्य बनाम बालुसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किए बिना तथा प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा में स्थगन आदेश दिनांक 24.06.2024 को पारित किया है जो आदेश 41 नियम 3 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है । अतः निगरानी दर्ज की जाकर अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2024 की पालना स्थगित की जावे । हमनें प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विचारण न्यायालयों के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 24–06–2024 को निम्न आदेश पारित किये गये कि–" **राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का पद रिक्त होने से पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश हुई । अपील बउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर हो । अपीलांटस के अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई । अपीलांट के अधिवक्ता बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः जरिये अस्थाई अंतरिम व्यादेश उभय पक्ष को आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2024 तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नंबर 550 रकबा 172.10 बीघा ग्राम छैनो की ढाणी, तहसील फलोदी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे । तहरीर जारी हो ।––"** आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अभी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसका अभी अंतिम निर्णय होना शेष है । इस प्रकार उक्त निगरानीधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है और यह केस डिसाईडेड केस की श्रेणी में नहीं आता है । परन्तु प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित करने से पूर्व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसे भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अपीलीय न्यायालय को स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व मियाद अधिनियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6741/2024/फलौदी** **नखतसिंह व अन्य बनाम बालुसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर मियाद अधिनियम का विधि अनुसार निस्तारण गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । **इस संबंध में आदेश 41 नियम 3–ए में यह प्रावधित किया गया है किः– "Application for condonation of delay- (1) When an appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.** **(2) If the Court no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice thereof shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decidd by the Court before it proceeds to deal with the appeal under Rule 11 or Rule 13, as the case may be.** **(3) Where an application has been made under sub-rule (1), the Court shall not make an order fot the stay of execution of the decree again which the appeal is proposed th be filed so long Court does not, after hearing under Rule 11, decide to hear the appeal."** उक्त प्रावधानों के संदर्भ में अपीलीय न्यायालय को प्रकरण में स्थगन जारी करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 को आदेश 41 निमय 3–ए जा0दी0 के प्रावधानों के तहत निर्णित करना आज्ञापक था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज कर मियाद के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुने आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2024 पारित करने में विधिक त्रुटि पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । **इस संदर्भ में मण्डल ने परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था/प.76/2022/2931–2938 दिनांक 4.8.2022 के पैरा संख्या 7 एवं 8 में यह दिशा निर्देश**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6741/2024/फलौदी** नखतसिंह व अन्य बनाम बालुसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जारी किए गए है किः– ''विचारण न्यायालय का निर्णय दूसरे पक्ष को सुने बिना अपास्त नहीं किया जावे । अपील न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पश्चात् निर्णय की क्रियान्विति स्थगित करने के समय या स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर यथासंभव दोनों पक्षों को सुनकर ही स्थगन जारी करे । न्यायहित में आवश्यक होने की स्थिति में आदेश 41 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों का अनुसरण करे ।'' परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–2024 निरस्त किया जाता है । प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुनकर सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करे तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे । राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में मण्डल के उपरांत परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें । निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभयपक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	